



2026:AHC: 62347

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1580 वर्ष 2026

श्रीमती प्रिया पांडे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विकास शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार तिवारी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- इस न्यायालय ने 17.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. आवेदक की ओर से पूरक शपथ पत्र के साथ-साथ सूचनादाता-विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तिवारी का वकालतनामा, जो आज न्यायालय में दाखिल किया गया है, को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक मृतक की पत्नी है और वर्ष 2015 में उससे शादी हुई थी। उक्त विवाह से, एक नाबालिग बच्चा, दर्श, पैदा हुआ था, जो वर्तमान में आवेदक के ससुराल वालों की अभिरक्षा में है। आवेदक ने मृतक को आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया, जिसने वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह कठोर कदम उठाया। चूंकि मृतक अपने माता-पिता के बजाय अपनी पत्नी का पक्ष लेता था, इसलिए उसे उसके पिता द्वारा परिवार और पारिवारिक व्यवसाय से निकाल दिया गया था। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक ने व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण लिया था, और इसी वित्तीय दबाव के कारण उसने यह कठोर कदम उठाया है।

3. विपक्षी पक्षकार संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है; हालाँकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास शर्मा द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उठाए गए तर्कों के गुण-दोष पर इस न्यायालय को संबोधित करने के लिए थोड़े समय की प्रार्थना करते हैं।

4. मांगा गया समय प्रदान किया जाता है।

5. इसे 24.02.2026 को नवीन के रूप में पेश करें।

6. इस बीच, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2)ए, 351(2), 352, 108 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 280 वर्ष 2024 में शामिल आवेदक- **श्रीमती प्रिया पांडे** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना-प्रभारी / न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;

iv. आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगी/उन्हें न ही डराएगी-धमकाएगी;

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, संबंधित न्यायालय को आवेदक की अग्रिम जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।"

2- आज, जब वाद पुकारा गया, तो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 17.02.2026 के पूर्व आदेश में दर्ज किए गए प्रस्तुतीकरणों को दोहराया है।

3- सूचनादाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तिवारी ने यह तर्क दिया है कि आवेदक अपने पति को लगातार प्रताड़ित करती थी। उसने अपने पति के साथ शारीरिक मारपीट भी किया, जिसके कारण मृतक ने यह कठोर कदम उठाया। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं, जो 31.07.2025 से निष्पादन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए लंबित हैं और आवेदक एक फरार होने के कारण इस न्यायालय से किसी भी हस्तक्षेप की हकदार नहीं है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने भी सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों को अपनाया है, हालाँकि, वे आवेदक के किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त को इंगित करने में असमर्थ रहे हैं।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों को सुना है। आवेदक मृतक की पत्नी है, जिसकी शादी वर्ष 2015 में उससे हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग एक महीने की देरी से दर्ज की गई है और एफ.आई.आर. में देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंगित करती है कि मृतक ने आत्महत्या किया है और लिगेचर मार्क को छोड़कर उसके शरीर पर चोट का कोई शारीरिक निशान मौजूद नहीं है। आवेदक का तर्क है कि मृतक ने वित्तीय कठिनाई के कारण यह कठोर कदम उठाया। एफ.आई.आर. और आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के परिशीलन से, प्रथम दृष्टया आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता है। सूचनादाता और अन्य साक्षीगण के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह था और उस मनहूस दिन यानी 10.09.2024 को पति-पत्नी के बीच कुछ हाथापाई हुई, जिसके बाद कहा जाता है कि मृतक ने रसोई का दरवाजा बंद कर लिया और आत्महत्या कर लिया। मृतक का नाबालिग बेटा सूचनादाता और परिवार के अन्य सदस्यों की कस्टडी में बताया जाता है। आवेदक को दी गई अंतरिम जमानत का उल्लंघन नहीं बताया गया है। उपर्युक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, मैं आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

6- उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7- आवेदक- **श्रीमती प्रिया पांडे** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में दिनांक 17.02.2026 के पूर्व के आदेश में निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

24 मार्च, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कीर्ति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।